

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर

3(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ के पत्र सं०-पी.जी.आई./मुख्य चिकि.अधि./ अधि.2370/2022 दिनांक- 23/07/ 2022 जो प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

जी हाँ।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या है ?

लैब अटेंडेन्ट ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत कुल 09 कार्मिकों को शासनादेश संख्या-132/2018/2745 /71-2-18-पी-08/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत सृजित किये गये जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ग्रेड वेतन-2800, के पद पर समायोजित किये जाने के संबंध में है।

(ग) क्या एस.जी.पी.जी.आई. प्रथम विनियमावली -2011 के नियम-74 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं?

जी नहीं।

प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उक्तानुसार।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री